



स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी
SWAMI VIVEKANAND GOVERNMENT COLLEGE KHETRI
DIST. - JHUNJHUNU (RAJ.) 333503

Accredited by NAAC : `B` Grade (2016)

E.Mail: govt.college.khetri@gmail.com Tel. 01593-234070 Mobile-9460010550

Affiliation: Pandit Deen Dayal Upadhyaya Shekhawati University Sikar (Raj.)

Recognized by UGC u/s 2F &12B

क्रमांक:-GCK/विद्या सम्बल/2024 /306

दिनांक- 06.07.2024

विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर के राजकाज रेफ. नं. 8477046 दिनांक 03.07.2024 की अनुपालना में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित " विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत इस महाविद्यालय के लिए सत्र 2024-25 हेतु अधिकतम 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2025 तक, जो भी पहले हो (अधिकतम 14 साप्ताहिक घण्टे अनुसार) 800/- रुपये प्रति कालांश मानदेय पर गैस्ट फ़ैकल्टी(पूर्णतय अस्थाई) के रूप में निम्नलिखित विषयों में दिनांक 15.07.2024 सांय 05 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	महाविद्यालय	विषय एवं पदों की संख्या	आवेदन जमा करवाने का पता
1	स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी	लोक प्रशासन -01, मनोविज्ञान-01	प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी, जिला-नीमकाथाना(राज.) पिन-333503

नोट:- 1. अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in/college/govt.college.khetri@gmail.com> पर देखें।

प्राचार्य

स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय,
खेतड़ी



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(O)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/पार्ट-1/ दिनांक:-

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:- विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फ़ैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 21-06-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय में संचालित ऐसे नियमित विषय जिनमें स्वीकृत पदों के विरुद्ध एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं है, पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी अथवा स्थानान्तरण/कार्य व्यवस्था के तहत शिक्षक उपलब्ध होने तक दिनांक 21.06.2024 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत विषय में स्वीकृत पदों की संख्या के विरुद्ध एक-एक गेस्ट फ़ैकल्टी को लगाकर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(प्रो. केशव शर्मा)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
05. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
06. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

RajKaj Ref
8477046



Signature valid

Digitally signed by Keshav Sharma
Designation: Joint Director
Date: 2024.07.03 17:06:42 IST
Reason: Approval